न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-468/2026
इब्राहिम अंसारी बनाम बिहार सरकार
[भगवानपुर हाट थाना कांड सं0 30/2026]
आदेश

21.05.2026 आवेदक/अभियुक्त **इब्राहिम अंसारी पे0 शौकत अली** जो दिनांक **10.02.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 468/2026, भगवानपुर हाट थाना कांड सं0 30/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप कुमार ठाकुर एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 16.01.2026 की रात्रि में सूचिका अपने घर पर सोए हुए थे। तभी समय करीब 02:09 बजे सूचिका के घर के आगे मेन रोड किनारे बड़े ट्रक का चक्का चोरों द्वारा खोला जा रहा था। खट–खट की आवाज आने के कारण सूचिका और उसकी बहन अंजु कुमारी अपने घर से बाहर निकलकर देखने लगे। तभी 112 की पुलिस टीम आ गई तब ट्रक के चक्का खोल रहे चोरों ने फायरिंग करते हुए सूचिका की घर की ओर भागने लगे। तभी सूचिका और उसकी बहन पुलिस को अपने दरवाजे के पास से ही चिल्लाकर चोरों के भागने की दिशा को बताए तभी पीछे से आ रहे चोरों ने सूचिका एवं उसकी बहन को जान मारने की नियत से दोनों पर फायर कर दिया जिसमें सूचिका एवं उसकी बहन को एक–एक गोली लग गई। जिसके बाद पुलिस द्वारा सूचिका एवं उसकी बहन को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। घटना के समय ही चोरों द्वारा गोली मारने के बाद पिकप गाड़ी से भाग गए। बाद में अगले दिन पता चला कि गोली मारने वाले इब्राहिम अंसारी, आशीष कुमार एवं सलमान खान थे।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सूचिका नीतू कुमारी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत किया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में इसी घटना से संबंधित भगवानपुर थाना कांड संख्या 16/2026 जमानत आवेदन संख्या 249/2026 पंजीकृत किया गया था जिसे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2026 को निष्पादन किया गया। आवेदक के खिलाफ तीन आपराधिक मामले पूर्व से पंजीकृत है जिसमें वे दो मामलों में जमानत पर हैं। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक को झूठे तरीके से इस मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदक दिनांक 10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी भगवानपुर हाट थाना

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-468/2026
इब्राहिम अंसारी बनाम बिहार सरकार
[भगवानपुर हाट थाना कांड सं0 30/2026]

21.05.2026
लगातार

कांड सं0 30/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध सूचिका एवं उसकी बहन के ऊपर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ पूर्व से तीन आपराधिक मामले पंजीकृत है। कांड दैनिकी के साथ जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें चिकित्सक ने सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है और आवेदक दिनांक 10.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप को सत्य पाते हुए धारा 126(2), 115(2), 109/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **इब्राहिम अंसारी** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार आवेदक के निकट संबंधी होंगे जो इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देंगे। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं या विचारण के क्रम में बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को अभियुक्त/आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 21.05.2026

Date of Order/Judgment	21.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	21.05.2026
Uploading Date	27.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT